310

उपाध्यक्ष

दि. 27.12.90 की प्रशिक्षण बैठक का कार्यवृत्त हस्ताक्षर हेतु, प्रस्तुत है।

5.1.91

क्रमांक	अधिकारी का नाम, पद एवं विभाग	हस्ताक्षर
	दि० 27-12-90	
1	श्री नागेन्द्र सिंह आयुक्त/अध्यक्ष MDDA	
2	" [illegible] उपाध्यक्ष "	
3	" [illegible] विकासाधिकारी देहरादून	
4	डा० एच०एस० यदुवंशी संयुक्त निदेशक, पर्यावरण, लखनऊ	
5	[illegible] सहयुक्त निदेशक देहरादून	
6	दीना नाथ [illegible] अध्यक्ष, नगरपालिका देहरादून	
7	[illegible] अध्यक्ष [illegible]	
8	के. एल. साह सहायक निदेशक पर्यटन, प्रतिनिधि आयुक्त एवं महानिदेशक पर्यटन [illegible] देहरादून	27/12/90
9	वाई. पी. सिंह अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून	27/12/90
10	वी०पी० जसोला संयुक्त सचिव [illegible]	
11	[illegible] अधि. अभि. [illegible] मंडल, जल निगम [illegible] देहरादून	27/12
12	बी०डी० कांडपाल वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त प्रतिनिधि मु. व. सं. (गढ़)	
13	प्रमोद कुमार शर्मा अधीक्षण अभियन्ता सा. नि. वि. देहरादून	
14	हरबंश कपूर - विधायक - देहरादून नगर	
15	[illegible] विधायक	
	[illegible]	
	[illegible] Gupta Engineer (THDC)	

अनुग्राह्य किया

(कार्यवाही सचिव)

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27-12-90 में सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति :-

1- श्री नागिन्दर सिंह, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल------------------ अध्यक्ष

2- श्री गुलबीर सिंह, उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0------------------ उपाध्यक्ष

3- श्री प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, देहरादून------------------ सदस्य

4- श्री सुभाष चन्द्र बहखण्डी, संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ ------------------ सदस्य

5- श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून---------- सदस्य

6- श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी------------------ सदस्य

7- श्री एस0पी0बहुगुणा, सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून । ------------------ सदस्य

8- श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0, देहरादून ------------------ सदस्य

9- श्री एच0एस0यदुबंशी, संयुक्त निदेशक, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ । ------------------ प्रतिनिधि सदस्य

10- श्री के0एल0शाह, सहायक निदेशक, पर्यटन, देहरादून---------- प्रतिनिधि सदस्य

11- डॉ0राजेन्द्रनाथ वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, नवम मंडल, उ0प्र0 जल निगम, देहरादून । ------------ प्रतिनिधि सदस्य ।

12- श्री बी0डी0कांडपाल, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून---- प्रतिनिधि सदस्य ।

विशेष आमंत्रित :-

1- श्री हरबंश कपूर, नगर विधायक ।

2- श्री रणजीत सिंह वर्मा, विधायक मसूरी क्षेत्र ।

3- श्री राजेश गुप्ता, इंजीनियर, टी0एच0डी0सी0 ।

4- श्री वाई0पी0सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून ।

अन्य उपस्थिति :-

1- सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
2- संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
3- श्री बृज0बी0रतन, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून ।
4- श्री बी0पी0जसोला, परगनाधिकारी, मसूरी एवं संयुक्त सचिव (मसूरी), म0दे0वि0प्रा0 ।
5- अधिशासी अभियन्ता (प्रभारी), म0दे0वि0प्रा0 ।

(ख) गत बैठक की अनुपालन आख्या पढ़ी गई तथा निम्नांकित टिप्पणी के साथ अनुमोदित की गई :-

मसूरी महायोजना से सम्बन्धित विषय क्रमांक-14 के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा मसूरी महायोजना के ड्राफ्ट मास्टर प्लान के सम्बन्ध में निजी वन एस्टेटो के सीमांकन के कार्य की प्रगति पूछी गयी जिसके बारे में उन्हे अवगत कराया गया कि अभी तक 08 एस्टेटो के सीमांकन का कार्य पूर्ण किया गया है । अध्यक्ष महोदय द्वारा इस धीमी गति से किये जा रहे कार्य पर असंतोष प्रकट किया गया तथा निर्देश दिये गये कि इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाए । इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार तीन-चार सर्वे पार्टियों को एकसाथ कार्य पर लगा दिया जाए ।

(कार्यवाही स0न0नि0/सचिव)

(ग) <u>गत बैठक दिनांक 30-10-90 की कार्यवाही पुष्टि</u>

गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई । पुष्टि स्वरूप अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही पुस्तिका में हस्ताक्षर किये गये ।

<u>विषय क्रमांक-1</u> :- <u>एम0पी0आर0प्रगति विवरण</u> :-

इस सम्बन्ध में प्रस्तुत विवरणों के अवलोकनोपरान्त निम्नांकित निर्देश दिये गये :-

1- भविष्य में जो भी आवासीय/विकास योजनाएं बनायी जाए, उनमें सभी आवश्यक/जनसुविधाओं का प्राविधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए । पुरानी निर्माणाधीन योजनाओं में भी इस प्रकार की सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ।

2- भविष्य में प्रत्येक आवासीय योजना के लेआउट प्लान को प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराया जाए ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में अपनाये जा रहे "कोस्टिंग फार्मूले" का परीक्षण किया जाए तथा मसूरी-देहरादून क्षेत्र की परिस्थितियों के

परिपेक्ष्य में कोस्टिंग फार्मूला (Costing formula) बनाकर प्राधिकरण बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जाए । यह भी निर्देश दिये गये कि कोस्टिंग करते समय भविष्य में होनेवाले संभावित व्यय की भी गुंजाइश रखी जाए ।

3- सम्पत्तियों के निस्तारण की नीति के सम्बन्ध में समुचित प्रस्ताव बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

4- प्राधिकरण द्वारा निर्मित नगरपालिका की सीमा से बाहर की आवासीय कालोनियों में भविष्य के रखरखाव के लिए भी प्राविधान किया जाये । प्राधिकरण की तरफ से नगरपालिका सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाए ।

5- ऐसे व्यक्ति जो प्राधिकरण की ओर से भवन/भूखण्ड आवंटित हो जाने के बाद समय से देय का भुगतान नहीं करते है, के सम्बन्ध में पैनल ब्याज की दर में निश्चित समय के पश्चात् वृद्धि की जाये ।

6- भवन निर्माण के लक्ष्य पूर्ति में केवल छत पड़ जाने से ही भवनों को पूर्ण नहीं माना जाना चाहिए । निर्देश दिये गये कि अगली बार से लक्ष्य पूर्ति के अन्तर्गत उन्हीं भवनों को सम्मिलित किया जाए जिनमें सभी कार्य पूर्ण हो चुके हों ।

<u>विषय क्रमांक-2</u> :- बसस्टैण्ड हेतु ग्राम कांवली-महरानी बाग में 2 एकड़ भूमि अधिग्रहण से मुक्ति किये जाने एवं इसके स्थान पर ग्राम कांवली में ही बिन्दाल नाले के समीप लगभग 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण अथवा आपसीवार्ता द्वारा क्रय करने सम्बन्धी ।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-10-90 में स्थल निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून तथा वरिष्ठ नियोजक, म0दे0वि0प्रा0 की समिति गठित की गयी थी । इस समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या का अवलोकन किया गया जिसमें यह लिखा गया है कि स्थल के जीयोजिकल स्ट्रेटा की क्षमता जांच विशेषज्ञ विभाग द्वारा करायी जाए ताकि यह ज्ञात हो जाये कि प्रस्तावित स्थानीय बसस्टैण्ड आवश्यक भार वहन करने में सक्षम है । सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया गया कि समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या अन्तिम निर्णय की दृष्टि से अपूर्ण है । निर्देश दिये गये कि

क्रमशः------3,

समिति सभी आवश्यक जाँच कार्यवाही अपने स्तर से पूर्ण करते हुए अपनी संस्तुति के साथ आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करें । यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में जो भी समिति गठित की जाये, उसकी आख्या हर प्रकार से सम्पूर्ण होनी चाहिए और स्पष्ट संस्तुति की जानी चाहिए ।

{कार्यवाही संयुक्त सचिव}

<u>विषय क्रमांक-3</u> :- <u>ग्राम नथुवावाला-रायपुर-गुजरघाटी मार्ग पर भूमि लेने के सम्बन्ध में</u> ।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की पिछली बैठक में गठित की गयी समिति की जाँच आख्या का अवलोकन किया गया । सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि वर्तमान में यह भूमि बंजर है और इस पर कोई पेड़ आदि भी नहीं है तथा प्राधिकरण को अपनी आवासीय योजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु भूमि की अत्यधिक आवश्यकता है, अत: इस दृष्टि से भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाए । भूअर्जन की कार्यवाही से पहले यह देख लिया जाए कि पानी की उपलब्धता तथा एप्रोच रोड की क्या स्थिति है। उपयुक्त पाये जाने पर ही भूअर्जन की कार्यवाही की जाए ।

{कार्यवाही संयुक्त सचिव}

<u>विषय क्रमांक-4</u> :- <u>ग्राम निरंजनपुर-कांवली में 33.07 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने के सम्बन्ध में</u> ।

उक्त प्रस्ताव जो 33.07 एकड़ भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को वापस लेने के सम्बन्ध में है, पर विचारविमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण को मसूरी-देहरादून क्षेत्र की जनता के आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु भूमि की आवश्यकता है, अत: भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है । भूअर्जन प्रस्ताव का शासन स्तर पर अनुश्रवण कर भूअर्जन की कार्यवाही शीघ्र करायी जाये ।

यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में भूअर्जन प्रस्ताव भेजने से पहले भूमि की उपयुक्तता, वित्तीय स्रोत, सीलिंग भूमि की जाँच तथा अन्य सभी आवश्यक

------4,

पहलुओं की जांच करली जाया करें । सभी दृष्टि से भूमि उपयुक्त पाये जाने पर ही प्रस्ताव बैठक में अनुमोदित कराकर सक्षम अधिकारी/शासन को प्रेषित किया किया जाए ।

॥कार्यवाही संयुक्त सचिव॥

<u>विषय क्रमांक-5</u> :- सहस्त्रधारा मार्ग के दांयी ओर ग्राम ब्रह्मावाला, डांडालखौण्ड, डांडाधोरण, धोरणखास व गुजराणामानसिंह में भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि भूमि अधिग्रहण का कोई भी प्रस्ताव रखने से पूर्व भूमि अर्जन हेतु गठित समिति द्वारा भलीभांति परीक्षण कर लिया जाए । प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-12-89 में इस हेतु गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

1- अपर जिलाधिकारी॥प्र0॥, देहरादून ।

2- अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 रा0 विद्युत परिषद, देहरादून ।

3- अधीक्षण अभियन्ता, गढ़वाल जल संस्थान, देहरादून ।

4- सहायक/वरिष्ठ नगर नियोजक, म0दे0वि0प्रा0 ।

5- संयुक्त सचिव, म0दे0वि0प्रा0 ।

6- संयुक्त निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, देहरादून ।

इस बैठक का संयोजन संयुक्त सचिव, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा किया जायेगा । यथा आवश्यकता अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून को भी बैठक में बुलाया जाए ।

उपरोक्त समिति स्थल निरीक्षण करके भूमि की उपयुक्तता के बारे में अपनी स्पष्ट संस्तुति बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगी । सीलिंग से प्रभावित/अप्रभावित भूमि के बारे में पहले ही जांच कराली जाए । इसके अतिरिक्त पूर्व विषयक क्रमांक-4, में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

॥कार्यवाही संयुक्त सचिव॥

क्रमशः-------5,

विषय क्रमांक-6 :- टिहरी बांध विस्थापितों हेतु अधिग्रहित की गयी भूमि का भूउपयोग "सीवेजफार्म" से बदलकर "आवासीय" में किया जाना ।

उक्त प्रस्ताव पर विचारविमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि देहरादून नगर महायोजना में ग्राम अजबपुरकलां, केदारपुर तथा मथुरावाला में "सीवेजफार्म" हेतु आरक्षित लगभग 176 हेक्टेअर भूमि में से लगभग 25 एकड़ भूमि जो टिहरी बांध के विस्थापितों को आवासीय सुविधा दिये जाने हेतु टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा अधिग्रहित की गयी है, का भूउपयोग "सीवेजफार्म" से बदलकर "आवासीय" कर दिया जाए । चूंकि यह भूमि "सीवेजफार्म हेतु आरक्षित भूमि के बीच में पड़ती है तथा पश्चिम में मथुरावाला रोड 24 मीटर प्रस्तावित है तथा इस रोड के साथ-साथ कुछ पुरानी आबादी विद्यमान है, अत: टी0एच0डी0सी0 द्वारा उक्त अधिग्रहित भूमि के अलावा नगर की ओर पड़नेवाली लगभग 54 हेक्टेअर शेष बची भूमि को प्राधिकरण अपनी आवासीय योजना हेतु अधिग्रहित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

यह भी निर्देश दिये गये कि यह परीक्षण कर लिया जाए कि "सीवरेजफार्म" के लिए शेष बची भूमि "सीवेज" की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं । यदि यह पर्याप्त न पायी जाए तो सीवेजफार्म से लगी हुई शहर से दूर की तरफ की भूमि का भूउपयोग "सीवेज" में बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए । इस सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम, देहरादून की राय भी प्राप्त करली जाए ।

§कार्यवाही स0न0नि0/सचिव§

विषय क्रमांक-7 :- देहरादून महायोजना में ग्राम कांवली में अस्पताल व डिग्री कालेज के लिए दर्शित भूमि का भूउपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-7-90 में गठित भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी उप-समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या को पढ़ा गया जिस पर कोई निर्णय लेने से पूर्व इस बात पर चिन्ता प्रकट की गयी कि महायोजना में निर्दिष्ट

क्रमश:------6,

(322) (323)

भूउपयोगो का उपयोग प्रतिकूल रूप से किए जाने के मामलें बार-बार आ रहे है जिससे मूल महायोजना का उद्देश्य/स्वरूप तीव्र गति से परिवर्तित होता जा रहा है, अतः इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है । इस हेतु सम्यक/सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-

1- उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 ।

2- जिलाधिकारी, देहरादून ।

3- सह्युक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, देहरादून ।

4- श्री रणजीत सिंह वर्मा, विधायक, मसूरी क्षेत्र ।

5- श्री हरबंश कपूर, विधायक, देहरादून ।

समिति यदि चाहे तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में अपनायी जा रही नीतियों की भी जानकारी कर लेवें । समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिकतम दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें । तब तक भूउपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित सभी मामलें स्थगित रखे जाए ।

(कार्यवाही स0न0नि0/सचिव)

<u>विषय क्रमांक-8 :- शमन शुल्क तथा शमन उपविधियों के सम्बन्ध में ।</u>

प्रस्ताव पर विचार किया गया । वर्तमान शमन शुल्क की दरों को दुगना करने का निर्णय लिया गया तथा निम्नवत् न्यूनतम देय शमन शुल्क निर्धारित किया गया :-

<u>आवासीय क्षेत्र में</u> :-

(क) रूलर --- 5,000/-

(ख) अरबन --- 10,000/-

(ग) कामर्शियल --- 50,000/-

शमन उपविधियों में प्रस्तावित/ अन्य संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई । तद्नुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये ।

(कार्यवाही सचिव)

क्रमशः-------7,

विषय क्रमांक-9 :- मसूरी एवं देहरादून विकास क्षेत्र में विकास शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में ।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मसूरी एवं देहरादून में पूर्व प्रचलित विकास शुल्क की दरों में, आवासीय में 75% तथा व्यवसायिक मामलों में 100% की वृद्धि कर दी जाये ।

§कार्यवाही सचिव§

विषय क्रमांक-10 :- मसूरी व देहरादून में होटलो से होनेवाले प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में सचिव, पर्यावरण विभाग उ0प्र0शासन से प्राप्त शासनादेश सं0-जी-1-457§1§45-24पर्या0/90, दिनांक 23-11-90 बैठक के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया । श्री एस0सी0 बहुखण्डी, संयुक्त सचिव नगर विकास, उ0प्र0शासन ने बैठक को यह अवगत कराया कि सन्दर्भित शासनादेश सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन को सम्बोधित है तथा इस सम्बन्ध में अभी बैठक में कोई निर्णय लिया जाना उचित न होगा ।

इसी प्रकरण पर विचारविमर्श के दौरान अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी द्वारा बताया गया कि उनके बार-बार अनुरोध करने पर भी मसूरी क्षेत्र में स्वीकृत हुए मानचित्रों की प्रतियां उन्हे उपलब्ध नहीं करायी गयी है । निर्देश दिये गये कि मानचित्रों की प्रतियां अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी को उपलब्ध करादी जाये ।

§कार्यवाही सचिव/सं0सचिव§मसूरी§

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से "लायन्स क्लब", देहरादून के पदाधिकारी बैठक कक्ष में उपस्थित हुए तथा उन्होंने देहरादून में विद्युत शवदाह गृह केन्द्र बनाने हेतु अपना योगदान देने का प्रस्ताव दिया । निर्देश दिये गये कि

क्रमशः:-------8,

326

327

जिलाधिकारी, देहरादून पूर्व प्रस्तावों के परिपेक्ष्य में संबंधित संगठनों की एक बैठक बुला लें तथा आवश्यक विचारविमर्श के उपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सचिव, म0दे0वि0प्रा0 इस बैठक को बुलाने हेतु कार्यवाही करें।

(कार्यवाही सचिव)

एजेन्डा नोट के क्रमांक 11 से 18 तक के विषयों पर समयाभाव के कारण विचार नहीं हो सका।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गई।

(सुनिष्ठा सिंह) सचिव।	(गुलबीर सिंह) उपाध्यक्ष।	(नागिन्दर सिंह), आयुक्त/अध्यक्ष।

Confirmed
16/3